मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय

1.	विश्वविद्यालय का नाम	:	मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय
2.	परिनियम का क्रमांक	:	**परिनियम क्रमांक – 10** स्तरीय पाठ्यक्रमों का प्रसारण
3.	अनुमोदन करने वाला प्राध्किरण एवं तिथि को अनुमोदित	:	विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिनांक 9.10.96
4.	प्रस्तावित परिनियम के प्रभावशील होने की तिथि	:	विश्वविद्यालय समन्वय समिति के अनुमोदन के दिनांक से

परिनियम :–

1. दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्रा के विकास की गतिशीलता वर्तमान परिदृष्य और आर्थिक सीमाओं से जनित पारस्परिक हित के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आदि के परिपेक्ष्य में दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं के लिये यह आवश्यक हो गया है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों को परस्पर सहयोग से लागू किया जावे। इस दृष्टि से प्रबंध बोर्ड द्वारा स्वीकृत ऐसे पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लागू करने की व्यवस्था होगी।

2. इसी प्रकार अन्य स्तरीय संस्थाओं के साथ सम्मिलित रूप से भी पाठ्यक्रम चलाये जा सकते हैं।

3. क्षेत्रा की सुविधओं, आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साध्नों की दृष्टि से ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण में भिन्नता के संबंध में समय–समय पर विश्वविद्यालय निर्णय ले सकेगा।

4. क्षेत्राीय आवश्यकताओं के अनुरूप बिन्दु 1 एवं 2 के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के माध्यम, अनुवाद या संशोध्न का प्रावधन भी रहेगा।

सतीश पाण्डेय
कुलसचिव